न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 137/2019 दायर दिनाँक 12.06.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. ज्यानी देवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी बडाबरा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:—

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

दिनाँक 23.12.2020

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया की कृषि भूमि खसरा सं0 134 रकबा 104 वीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 134/314 रकवा 0.05 बीघा कुल रकवा 104 बीघा 18 बिस्वा ग्राम बडाबरा तहसील डीडवाना में अवस्थित है। वादिया की खातेदारी भूमि में राजस्व रेकर्ड में उसका नाम ज्याणी जोजे गंगाराम दर्ज कर दिया गया है जबकि वादिया का सही व वास्तविक नाम ज्यानी देवी पत्नी गंगाराम है जो कि सही है। वादिया के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड वगैराह में ज्यानी देवी अंकित है।

अतः प्रार्थना वादिनी है कि कृषि भूमि खसरा सं0 134 रकबा 104 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 134/314 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 104 बीघा 18 बिस्वा ग्राम बडाबरा पटवारी क्षेत्र मण्डूकरा तहसील डीडवाना में वादिया का नाम ज्याणी देवी के स्थान पर ज्यानी देवी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जावें।

प्रकरण में हल्का पटवारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में ग्राम बडाबरा के खाता संख्या 142 में ज्याणी जोजे गंगाराम जाट सा0 खुडी तहसील डीडवाना सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त ज्याणीदेवी का अन्य दस्तावेजों [illegible] ज्यानीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट सा0 खुडी [illegible] एक ही महिला का नाम है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:04:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 137 / 2019
दायर दिनाँक 12.06.2019 निर्णय दिनाँक 23.12.2020
ज्यानी देवी बनाम तहसीलदार डीडवाना।

अतः वादिनी का नाम ज्यानी देवी पत्नी गंगाराम है जो कि सही है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ज्यानी देवी पत्नी गंगाराम दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद बडाबरा के खेत खसरा सं0 134 रकबा 104 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 134 / 314 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 104 बीघा 18 बिस्वा में वादिया का नाम ज्याणी देवी जोजे गंगाराम के स्थान पर ज्यानी देवी पत्नी गंगारामं दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 23.12.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:04:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 137 / 2019 दायर दिनाँक 12.06.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. ज्यानी देवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी बडाबरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 23.12.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद बडाबरा के खेत खसरा सं0 134 रकबा 104 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 134 / 314 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 104 बीघा 18 बिस्वा में वादिया का नाम ज्याणी देवी जोजे गंगाराम के स्थान पर ज्यानी देवी पत्नी गंगारामं दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.12.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:04:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner